



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1767

/12-1 :देहरादून:दिनांक:

7 - मार्च, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में खजूरखाल से निगलानी-तिमुलपानी-गोगनानी-दमदड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No- FP/UK/Road/17042/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/189/2016/एफ0सी0/1770, दिनांक 25.01.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, केदनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 3909/12-1 दिनांक 22.01.2024 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

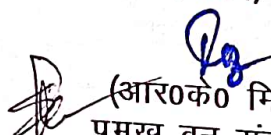
कसं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.951 है0 ग्राम- भण्डारीखोड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रुपये 1658335.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6117042428 date 07.09.2018 द्वारा धनराशि जमा की गई। संलग्न:- 1 चालान की प्रति। नोट:-शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.945 है0 ग्राम ग्राम भण्डारीखोड (कुनीगाड) की सिविल सोयल भूमि चयनित की गयी थी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, चमोली द्वारा गोचर भूमि किस्म की होने पर आपत्ति दर्ज की गयी। पुनः राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम हरगढ प0वृ0 कुनिगाड तहसील गैरसैंण में 5.95 है0 सिविल भूमि चयनित की गयी जिसका की जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 2651/26-11 (2018-2019) गोपेश्वर, दिनांक 06.02.2019 द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश पारित किया गया है। संलग्नक :- 2 जिलाधिकारी चमोली के आदेश की प्रति।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रु0. 19,54,575.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC Campa, Application no. Road 6117042428 date 07.09.2018 द्वारा धनराशि जमा की गई है। भुगतान चालान की

		प्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या-1 चालान की प्रति।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो गढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है, इस क्रम में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक:-3 प्रमाण पत्र की प्रति।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जमा किया गया है। बिन्दु संख्या-1 चालान की प्रति।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी, इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है, इस क्रम में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक 4- प्रमाण पत्र।
6	State Govt. will upload the muck disposal detail in component wise breakup at Para B2.4 online part I.	DFO has informed that Since there is no Forest land utilized for muck dumping yard in this road but 0.1347 hectare of Private nap land is proposed for muck dumping yards. Hence the same was not mentioned in component wise breakup in part-I. However muck dumping plan has been uploaded with compliance report online and hard copy is attached with this letter.
7	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents. However, FRA Certificate, digital maps of are proposed for diversion and CA, Part I to V should be in original.	DFO has informed that The hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents. However, FRA certificate, digital maps of area proposed for diversion and CA, part I to V in original uploaded and attached.

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

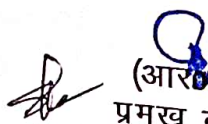
भवदीय,


(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या-1967 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैंण, चमोली।


(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।